



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1581]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 16, 2011/श्रावण 25, 1933

No. 1581]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 16, 2011/SRAVANA 25, 1933

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2011

New Delhi, the 11th August, 2011

का.आ. 1899(अ).—सुश्री सुकन्या भरतराम, सदस्य (शिक्षा), राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का इस्तीफा स्वीकार करने के परिणामस्वरूप भारत सरकार एतद्वारा आयोग के सदस्य के रूप में उन्हें अपने कार्यभार से 30-6-2011 (अपराह्न) से कार्यपुक्त करती है।

S.O. 1899(E).—Consequent upon the acceptance of resignation of Ms. Sukanya Bharatram, Member (Education), National Commission for Protection of Child Rights, the Government of India hereby relieves her from her duties as a Member of the Commission with effect from 30-6-2011 (AN).

[फा. सं. 3-11/2010-सी.डब्ल्यू-I]

[F. No. 3-11/2010-CW-I]

विषेक जोशी, संयुक्त सचिव

VIVEK JOSHI, Jt. Secy.